

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2025 थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

उ०नि० भूपेशनाथ सिंह व उ०नि० मिथलेश चौरसिया की सतर्कता से 02 गैंगस्टर गिरफ्तार
थाना कंधई के उ०नि० भूपेशनाथ सिंह व उ०नि० मिथलेश चौरसियाने गैंगस्टर अभियुक्त पर
कसा शिकंजा

उ०नि० भूपेशनाथ सिंह व उ०नि० मिथलेश चौरसिया ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी
पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कंधई के उ०नि० भूपेशनाथ सिंह व
उ०नि० मिथलेश चौरसिया को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ताला मोड के पास से गैंगस्टर 02 अभियुक्तों, 01.
एजाज, 02. नासिर अली को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर हत्या का प्रयास, चोरी, गोवध निवारण अधि०, पशु क्रूरता
अधि०, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग
प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर उ०नि० भूपेशनाथ सिंह व उ०नि० मिथलेश चौरसिया के सहयोग से थाना
दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना कंधई के मु०अ०सं० 79/25 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० थाना कंधई जनपद जनपद में वांछित 02 अभियुक्तों, 01.
एजाज पुत्र रईस उम्र करीब 30 वर्ष नि० अमहट थाना को०नगर जनपद सुल्तानपुर 02. नासिर
अली पुत्र मो० तौहीद उम्र करीब 29 वर्ष नि० हसनपुर थाना बंधुआ कला जनपद सुल्तानपुर थाना
दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 11.04.2025 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ताला
मोड के पास से गिरफ्तार किया

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. एजाज पुत्र रईस उम्र करीब 30 वर्ष नि० अमहट थाना को०नगर जनपद सुल्तानपुर ।

02. नासिर अली पुत्र मो० तौहीद उम्र करीब 29 वर्ष नि० हसनपुर थाना बंधुआ कला जनपद
सुल्तानपुर ।

अभियुक्त एजाज पुत्र रईस उम्र करीब 30 वर्ष नि० अमहट थाना को०नगर जनपद सुल्तानपुर का
आपराधिक इतिहास-

01- मु०अ०सं०-593/13 धारा 279/304ए भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

02- मु०अ०सं०-43/14 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

- 03- मु0अ0सं0-607/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना अम्बेडकरपुर जनपद अम्बेडकर नगर ।
- 04- मु0अ0सं0-26/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर ।
- 05- मु0अ0सं0-35/21 धारा 307/465 भादवि थाना धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर ।
- 06- मु0अ0सं0-36/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर ।
- 07- मु0अ0सं0-05/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना छावनी जनपद बस्ती ।
- 08- मु0अ0सं0-57/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11ए पशु क्रुरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 09- मु0अ0सं0-307/22 धारा 379/411/413/465 भादवि थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ।
- 10- मु0अ0सं0-385/22 धारा 379/506 भादवि थाना कुडवार जनपद सुल्तानपुर ।
- 11- मु0अ0सं0-1137/22 धारा 41/411/413/420/465 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।
- 12- मु0अ0सं0-263/23 धारा 3(1) समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।
- 13- मु0अ0सं0-271/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।
- 14- मु0अ0सं0-437/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।
- 15- मु0अ0सं0-79/25 धारा 2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त नासिर अली पुत्र मो0 तौहीद उम्र करीब 29 वर्ष नि0 हसनपुर थाना बंधुआ कला जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

- 01- मु0अ0सं0 437/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।
- 02- मु0अ0सं0 79/25 धारा 2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।